रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269667
CG-DL-E-30012026-269667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947
No. 389] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 417(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) के अनुसारण में नीचे दी गई सारणी के अनुसार राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मेघालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदभिधान
1.	श्री युसूफ शरीफ सुल्लैई, आईएफएस (सेवानिवृत्त), ला. फैमिला, नोमिवेल राइनजहा लेन, मदन लाबान, शिलांग - 793004	अध्यक्ष ;
2.	श्रीमती जेनिफर सेवायन मध्य वैज्ञानिक, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वन्य और पर्यावरण), मेघालय, शिलांग	सदस्य सचिव ।

2. प्राधिकरण, इस अधिसूचना पैरा 4 के अधीन गठित राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगी ।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और साधारणतया सर्व सम्मति से होंगे:

परंतु बहुमत द्वारा किए गए विनिश्चय की दशा में पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और उनकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, की सहायता के प्रयोजन के लिए मेघालय राज्य सरकार के परामर्श से, मेघालय राज्य के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है), नीचे दी गई सारणी के अनुसार, का गठन करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**अधिकारी या व्यक्ति का नाम**	**पदभिधान**
1.	डॉ. सी. सत्याजीत राव, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र, सेंट एंटोनीस कॉलेज, शिलांग, बंगला नं. 48, कन्ट्री साइड व्यू, मवडियांगडियांग, निकट आई.एच.एच.एम, शिलांग-793018	अध्यक्ष ;
2.	श्री जेम्स मोनरोए पोहसंगप, आईएफएस (सेवानिवृत्त) खिमुसयांग, जोवाई, मेघालय	सदस्य ;
3.	श्री विल्सन साइप मेनर, आईएफएस (सेवानिवृत्त) नौगथाईम्माई, डम डम, शिलांग	सदस्य ;
4.	श्री मिलनबुर्घ आर. संगमा, (सेवानिवृत्त) संयुक्त निदेशक, मृदा और जल संरक्षण विभाग, मेघालय, आर.सी. रोड, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय, तूरा 794002	सदस्य ;
5.	प्रोफेसर हाइलैंड कायांग, विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र, एन.ई.एच.यू.,शिलांग-793022	सदस्य ;
6.	श्री गडिओन खारकोंगर, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, सेंट एडमंडस् कॉलेज, शिलॉग-793003	सदस्य ;
7.	डॉ. शिव शंकर चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावरण अध्ययन विभाग, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, उमशिंग, शिलांग-793022	सदस्य ;
8.	डॉ. (श्रीमती) वैन जैनिफर जोन वॉलंग, एसोसिएट प्रोफेसर, भूविज्ञान विभाग, सेंट एटोंनिज कॉलेज, शिलॉग-793001	सदस्य ;
9.	सदस्य सचिव मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिलांग	सदस्य सचिव ।

5. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

6. प्राधिकरण और समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए,

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति, -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श से संगठन और परियोजना के प्रस्तावकों से भी जुड़े हैं; और

(ख) ऐसी किसी परियोजना के लिए कोई परामर्श नहीं देंगे या पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी से संबद्ध नहीं रहेंगे जिसका प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय या समिति द्वारा मूल्यांकन उनके कार्यकाल के दौरान किया जाना है ; और

(ii) पूर्ववर्ती पांच वर्षों में, यदि प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की है या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, उस दशा में वे यथास्थिति, प्राधिकरण या समिति की बैठकों से ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखेंगे ।

8. समिति, सामुहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्व सम्मति पर पहुँचने का प्रयास करेगा तथा यदि सर्व सम्मति पर नहीं पहुँचा जा सकता है तो बहुमत के विचार अविभावी होंगे ।

9. मेघालय राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी तथा समिति वित्तीय तथा संभारतंत्र सहायता जिसके अंतर्गत वास सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को बैठक फीस यात्रा भत्तें, मंहगाई भत्तें, मेघालय राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं. आईए3-1/3/2021-आईए.III]

तन्वी गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section(ii), *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Meghalaya (hereinafter referred to as the Authority) as per the Table below, namely:—

Sr. No.	Name of the Officers	Designation
1.	Shri. Yusuf Sharif Shullai , IFS(Retd.), La- Familia, Nomiwell Rynjah Lane, Madan Laban, Shillong-793004	Chairman;
2.	Smt. Jenifer Sawian Chief Scientist, Meghalaya State Pollution Control Board	Member;
3.	Chief Conservator of Forest (Social Forestry and Environment), Meghalaya, Shillong	Member Secretary.

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 4 of this notification.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Meghalaya, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee for the State of Meghalaya, (hereinafter referred to as the Committee) as per the Table below, namely: -

Table

Sr. No.	Name of the Officer or person	Designation
1.	Dr. C. Satyajit Rao Former Head of Botany, St. Antony's College, Shillong. Bungalow No.48, Country Side View, Mawdiangdiang, Near IHHM, Shillong-793018	Chairman;
2.	Shri. James Monroe Pohsngap, IFS (Retd.) Khimusniang, Jowai, Meghalaya	Member;
3.	Shri. Wilson Shadap Manner, IFS (Retd.) Nongthymmai, Dum Dum, Shillong	Member;
4.	Shri. Millanburgh R. Sangma, (Retd.) Joint Director, Soil and Water Conservation Department, Meghalaya, R.C Road, West Garo Hills Meghalaya, Tura-794002	Member;
5.	Professor Highland Kayang, HOD, Botany Department, NEHU, Shillong-793022	Member;
6.	Shri Gideon Kharkongor, Associate Professor, Geography Department, St. Edmund's College, Shillong-793003	Member;
7.	Dr. Shiva Shankar Chaturvedi, Associate Professor, Department of Environment Studies, North Eastern Hills University, Umshing, Shillong-793022	Member;
8.	Dr(Mrs) Van Jennifer Joan Wallang, Associate Professor, Department of Geology, St. Antony's College, Shillong-793001	Member;
9.	Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board, Shillong	Member Secretary.

5. The Chairman and Member of the Authority and the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

6. The Authority and the Committee shall exercise such powers and follows such procedures as specified in the said notification.

7. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, and the Committee have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The State Government of Meghalaya shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

10. The sitting fees, traveling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Meghalaya.

[F. No. IA3-1/3/2021-IA.III]

TANVI GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.30 16:50:07 +05'30'